बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया–823001

Web :- www.educationgaya.in. Email Id- bepcgaya@gmail.com

पत्रांकः PVT/78/2017-18/ 2381

प्रेषक,

असगर आलम खाँ,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
–सह–सदस्य सचिव,
जिला प्रस्वीकृति समिति, गया।

प्रेषित,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल,
ग्राम–रसलपुर, गया–पटना रोड,
थाना– चंदौती, गया– 823003
बिहार।

गया, दिनांक 21/12/2017

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा–18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम–11, उपनियम–05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन –पत्र, दिनांक 26.09.2017 के आलोक में **RATHAUR EDUCATIONAL TRUST** के अधीन संचालित विद्यालय **G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, Vill- Rasalpur, Gaya-Patna Road, P.S. Chandauti, Gaya-823003** को कक्षा–01 से कक्षा–08 तक संचालन हेतु 31.03.2019 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगीः–</u>

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा–08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011, (अनुलग्नक–02) के प्रावधानों का आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस / पोषक क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों (EWS) का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालपन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कडिका–03 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा–12 की उपधारा– 02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे या उसके माता–पिता या अभिभावक की स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

Principal
DAV PUBLIC SCHOOL
Tapin North - C. C. L.
Ramgarh (Jharkhand)

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
GAYA (BIHAR)

प्राचार्य / Principal
के0वि क्रमांक–02 / K.V. No.-02
बेली रोड, पटना–14 / Bailey Road, Patna-14

CHAIRMAN
Rabindra Kumar
G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA

बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया–823001

Web :- www.educationgava.in. Email Id- bepcgava@gmail.com

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नही कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :–

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम–22 के आलोक मे प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा–23 की उपधारा–01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

vii. विद्यालय के सभी शिक्षक अधिनियम की धारा–24 की उपधारा–01 मे प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें।

viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है–

क. विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल :	– 02.98 एकड़।
ख. कुल निर्मित क्षेत्र :	– 5295 वर्गमीटर।
ग. खेल के मैदान का संख्या :	– 01 (8300 वर्गमीटर)।
घ. वर्गकक्षों की कुल संख्या :	– 48 वर्गकक्ष।
ङ. प्रधानाध्यापक– सह– कार्यालय– सह भंडार कक्ष :	– 01 (25X25 वर्गफीट)।
छ. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय :	– उपलब्ध है। (बालक–24, बालिका–24)।
ज. पेयजल की सुविधा :	– 24 नल (RO Water के साथ)।
झ. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर :	– आवश्यक नहीं।
ट. बाधारहित पहुँच :	– 21 बस (GPS सुविधा सहित)।

Principal
DAV PUBLIC SCHOOL
Tapin North
Ramgarh (Jharkhand)

प्राचार्य / Principal
के॰ वि॰ क्रमांक–02 / K.V. No.-02
बेली रोड, पटना–14 / Bailey Road, Patna-14

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
GAYA (BIHAR)

CHAIRMAN
G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA

बिहार शिक्षा परियोजना, गया

शिक्षा भवन, गया–823001

Web :- www.educationgava.in. Email Id- bepcgava@gmail.com

ठ. शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय : –पर्याप्त मात्रा में, पुस्तकालय एवं साइंस प्रयोगशाला है।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाए अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा कि निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **G-0134/Pvt.S/2017** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान गया के द्वारा समय–समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
19. अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. प्रस्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी कोई भी जानकारी/सूचना यदि असत्य पाया गया तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा और प्रस्वीकृति स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

अनुलग्नकः यथोक्त।

प्राचार्य / Principal
के0वि क्रमांक–02 / K.V. No.-02
बेली रोड, पटना–14 / Bailey Road, Patna-14

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
GAYA (BIHAR)

Principal
DAV PUBLIC SCHOOL
Tapin North - C. C. L.
Ramgarh (Jharkhand)

विश्वासभाजन,

(असगर आलम खाँ)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
–सह– सदस्य सचिव, जिला प्रस्वीकृति समिति,
गया।

पत्रांकः–10/न 4–29/2015.......................

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

पी० एन० मिश्रा,
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक.............................

विषयः– **जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर** गया को **CBSE** बोर्ड, नई दिल्ली से **संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर गया को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गईः–

1. यह विद्यालय राठौर एडुकेशनल ट्रस्ट, के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 2 एकड़ भूमि 35 वर्षो के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 40 शिक्षक है। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्ते स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तो के अनुसारः–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवारों के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL PRINCIPAL GAYA (BIHAR)

CHAIRMAN
Rabindra Kumar
G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA

प्राचार्य / Principal
के0वि क्रमांक–02 / K.V. No.-02
बेली रोड, पटना–14 / Bailey Road, Patna-14

Principal
DAV PUBLIC SCHOOL
Tapin North - C. C. L.
Ramgarh (Jharkhand)

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा मे नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर गया को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की सबधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह०/–

(पी० एन० मिश्रा)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न 4–29/2016 .... पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह०/–

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न 4–29/2015....634........ पटना, दिनांक.......19/6/17......

प्रतिलिपिः–प्राचार्य, जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

CHAIRMAN

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA

PRINCIPAL

G.D. GOENKA GAYA

4 D/NOC LETTER

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

शुद्धि–पत्र

संचिका संख्या :– 10/न 4–29/2015........... पटना, दिनांक.........................

विभागीय पत्रांक–634 दिनांक–19.06.2017 द्वारा जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर, गया को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के कंडिका–03 (तीन) में त्रुटिवश 2 एकड़ भूमि अंकित हो गया था।

अंकित 2 एकड़ भूमि को 2.9889 एकड़ भूमि पढ़ा जाए।

शेष कंडिका यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन

ह०/–

(पी० एन० मिश्रा)

विशेष निदेशक, (मा०शि०)

ज्ञापांक :– 10/न 4–29/2015.......1017 पटना, दिनांक.......24/9/17

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110092/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/प्राचार्य, जी0 डी0 गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर, गया को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (मा०शि०)

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL PRINCIPAL GAYA, BIHAR

CHAIRMAN

Rabindra Kumar

G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL, GAYA

प्राचार्य / Principal

के0वि क्रमांक–02 / K.V. No.-02

बैली रोड, पटना–14 / Bailey Road, Patna-14

Principal

DAV PUBLIC SCHOOL

Tapin North - C. C. L.

Ramgarh (Jharkhand)